

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—82/2021 (2021/368) वादपत्र

अनवान

1. चम्पालाल पिता सुरजमल कुमावत निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. प्यारा पिता मोती कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बालु पिता मोती कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रामलाल पिता मोती कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारुख मोहम्मद—

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक:—24.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1413 रकबा 0.03 है 0 गे.मु. आचा, आराजी संख्या 1414 रकबा 0.24 है 0, आराजी संख्या 1415 रकबा 0.23 है 0, आराजी संख्या 1417 रकबा 0.06 है 0, आराजी संख्या 1418 रकबा 0.08 है 0, आराजी संख्या 1419 रकबा 0.13 है 0, आराजी संख्या 2608 रकबा 0.29 है 0, आराजी संख्या 2617 रकबा 0.13 है 0, आराजी संख्या 2946 रकबा 0.34 है 0, आराजी संख्या 2952 रकबा 0.34 है 0, आराजी संख्या 3915 रकबा 0.09 है 0, आराजी संख्या 4302 रकबा 0.86 है 0, आराजी संख्या 4304 रकबा 0.03 है 0 खड़डा, कुल किता 13 कुल रकबा 2.85 है 0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1008 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी का 53/285 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 106/285 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 106/285 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 4/57 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के सामलाती रूप से दर्ज होने से तथा हिस्सा अलग से निर्धारित नहीं होने से वादी के अपने हक व हिस्से को विकास आदि कर कृषि उपयोग उपभोग हेतु भूमि सुधार करने में तथा लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात का मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन कराया जाकर आराजी चाह व खड़डा को शामिल रखते हुए वादी के निहित 53/285 हक व हिस्से का अलग स्वतंत्र खाता कायम किये जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08.12.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 4 फॉर्मल पक्षकार है जिनसे कोई दाद नहीं चाही गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2022 को वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा



तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1413 रकबा 0.03 है0 गे.मु. आचा, आराजी संख्या 1414 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 1415 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 1417 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 1418 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1419 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2608 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 2617 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2946 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 2952 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 3915 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 4302 रकबा 0.86 है0, आराजी संख्या 4304 रकबा 0.03 है0 खड्डा, कुल किता 13 कुल रकबा 2.85 है0 भूमि में वादी का 53/285 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 16.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बोराना तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 1008 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1414/3 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 2608/1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 2952 रकबा 0.34 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.52 है0 भूमि चम्पालाल पिता सुरजमल कुमावत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1414/2 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1415 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 1417 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 1418 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1419 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2608/2 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 2617 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2946 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 3915 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 4302 रकबा 0.86 है0, आराजी संख्या 4304 रकबा 0.03 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.29 है0 भूमि प्यारा पिता मोती 105/229 बालु पिता मोती 105/229 रामलाल पिता सुरजमल 19/229 कुमावत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1413 रकबा 0.03 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 1414/1 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है0 भूमि पूर्ववत शामलाती रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



Sundar Lal Bumbhoda
24/5/22
(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाबा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—82/2021 (2021/368) वादपत्र

अनवान

1. चम्पालाल पिता सुरजमल कुमावत निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम


1. प्यारा पिता मोती कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बालु पिता मोती कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रामलाल पिता मोती कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 1008 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1414/3 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 2608/1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 2952 रकबा 0.34 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.52 है0 भूमि चम्पालाल पिता सुरजमल कुमावत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1414/2 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1415 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 1417 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 1418 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1419 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2608/2 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 2617 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2946 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 3915 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 4302 रकबा 0.86 है0, आराजी संख्या 4304 रकबा 0.03 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.29 है0 भूमि प्यारा पिता मोती 105/229 बालु पिता मोती 105/229 रामलाल पिता सुरजमल 19/229 कुमावत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1413 रकबा 0.03 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 1414/1 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है0 भूमि पूर्ववत शामिल रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।


24/05/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

